क्रम-संख्या–178

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–3, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, सोमवार, 21 सितम्बर, 2020

भाद्रपद 30, 1942 शक सम्वत्

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्या 822 / वि0स0 / संसदीय / 88(सं)-2020

लखनऊ, 22 अगस्त, 2020

अधिसूचना

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 22 अगस्त, 2020 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2020 कहा जाएगा। संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा यथा संशोधित और पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973 की अनुसूची का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की अनुसूची में क्रम संख्या 1 और 3 पर उपसंजात होने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रख दी जायेंगी, अर्थात् :–

"1-लखनऊ विश्वविद्यालय	हरदोई, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और रायबरेली जिले।
3-छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर	औरैया, इटावा, फर्रूखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर और उन्नाव जिले।"

———————

उद्देश्य और कारण

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ और छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अधीन स्थापित राज्य विश्वविद्यालय हैं। लखनऊ, लखनऊ मण्डल का एकमात्र ऐसा जिला है, जो लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ की क्षेत्रीय अधिकारिता के अन्तर्गत आता है जबकि लखनऊ मण्डल के शेष जिले, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर की क्षेत्रीय अधिकारिता के अन्तर्गत आते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ से सम्बद्ध महाविद्यालयों की संख्या 160 है जबकि छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर से सम्बद्ध महाविद्यालयों की संख्या 950 है। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर की विस्तृत क्षेत्रीय अधिकारिता होने के कारण सुदूरवर्ती जिलों में रहने वाले छात्रों को भौतिक दूरी अधिक होने के कारण उच्च अध्ययन प्राप्त करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सम्बद्ध महाविद्यालयों की संख्या में भिन्नता होने के कारण दोनों विश्वविद्यालयों की आय में भिन्नता है। लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ सदैव अभाव में रहता है और वित्तीय सहायता हेतु राज्य सरकार पर निर्भर है, जबकि छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर स्वावलम्बी है। अतएव, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ की क्षेत्रीय अधिकारिता को बढ़ाये जाने और इस प्रकार छात्रों की कठिनाइयों को कम करने तथा उसे स्वावलम्बी बनाने हेतु उक्त अधिनियम को संशोधित किये जाने का विनिश्चय किया गया है।

तद्नुसार, 'उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020,' पुरःस्थापित किया जाता है।

डा0 दिनेश शर्मा,

उप मुख्यमंत्री।

——————

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 द्वारा संशोधित की जाने वाली मूल अधिनियम की संगत धाराओं का उद्धरण।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973

अनुसूची

क्रमांक	विश्वविद्यालय का नाम	क्षेत्राधिकार में सम्मिलित जनपद
1	2	3
1	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	लखनऊ
3	छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर	औरैया, इटावा फर्रूखाबाद, हरदोई, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, रायबरेली तथा उन्नाव जिले

आज्ञा से,

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR

SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1

No. 546/XC-S-1–20-58S-2020

Dated Lucknow, September 18, 2020

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the "Uttar Pradesh Rajya Vishvavidyalaya (Dviteeya Sanshodhan) Vidheyak, 2020" Introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on August 22, 2020

.

THE UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES (SECOND AMENDMENT) BILL, 2020

A

BILL

further to amend the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-first Year of the Republic of India as follows:-

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh State Universities (Second Amendment) Act, 2020.

Amendment of the Schedule to the Presidents Act no. 10 of 1973 as amended and re-enacted by U.P. Act no. 29 of 1974

2. In the Schedule to the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 for the entries appearing Serial no. 1 and 3 the following entries shall be *substituted* namely :-

"1. The University of Lucknow	Districts of Hardoi, Lucknow, Lakhimpur Kheri, Sitapur and Rae Bareli.
3. Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University, Kanpur	Districts of Auraiya, Etawah. Farrukhabad, Kannauj, Kanpur Dehat, Kanpur Nagar and Unnao."

———

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

University of Lucknow, Lucknow and Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University, Kanpur are State Universities established under the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973. Lucknow is the only district of Lucknow Division which falls under the territorial jurisdiction of University of Lucknow, Lucknow while rest of the districts of Lucknow Division fall under the territorial jurisdiction of Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University, Kanpur. The number of colleges affiliated to University of Lucknow, Lucknow is 160 while the number of colleges affiliated to Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University, Kanpur is 950. Due to the extensive territorial Jurisdiction of Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University, Kanpur students residing in far-off districts have to face a lot of difficulties in pursuing higher studies due to the increased physical

distance. Also, the income of the two universities varies according to the number of affiliated colleges. University of Lucknow, Lucknow is always in deficit and is dependent on the State Government for financial assistance while Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University, Kanpur is self sufficient. It has, therefore, been decided to amend the said Act to increase the territorial jurisdiction of University of Lucknow, Lucknow thereby reducing difficulties being faced by students, and at the same time making it a self-sufficient University.

The Uttar Pradesh State University (Second Amendment) Bill, 2020 is introduced accordingly.

DR. DINESH SHARMA,

Up Mukhyamantri.

By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 260 राजपत्र–2020–(661)–599+25+5=629 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

260 RPH (State Universities-II)- (Sansadiya) 2020 Data-4e